न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या :– 07/2016

1. प्यारी
2. छिन्द्रकौर

} पुत्रियां स्व. गुलजार सिंह जाति मजहबी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. सोमा कौर
2. रजनीकौर

} पुत्रियां स्व. श्री पप्पुसिंह पुत्र श्री गुलजारसिंह जाति मजहबी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. सरपंच ग्राम पंचायत कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. सोमा कौर — रेस्पोडेन्ट संख्या 1
2. रजनीकौर — रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.06.2018

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 383 दिनांक 05.05.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट नें ऐसा कोई दस्तावेज जिससे इन्तकाल में दस्तबरदारी का उल्लेख किया गया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में तहरीर नहीं किया है दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के अनुसार हस्तान्तरण नहीं हो सकते ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अकेले को अपीलकृत इन्तकाल पारित करनें का अधिकार था।

विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दस्तबरदारी को उल्लेखित करते हुए कहा है कि दस्तबरदारी द्वारा किसी भी खातेदार को अपनें हक हस्तान्तकरण करनें का अधिकार नहीं है और ना ही अपीलान्ट को कोई ऐसी दस्तबरदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में तहरीर की है इसके अलावा अपीलान्ट निवेदन करती है, कि अपीलकृत इन्तकाल करते समय अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया।

अपीलकृत इन्तकाल अकेले सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय किया गया है, कि अकेले सरपंच को इन्तकाल करनें का क्षैत्राधिकार नहीं है इस प्रकार अपीलकृत इन्तकाल प्रारम्भिक रूप से शून्य है जो अपास्त किये जानें योग्य है।

अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया था वर्तमान में भी अपीलान्ट अपनें हिस्से की आराजी पर काबिज है

लगातार........... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

और काश्त कर रही थी अपीलान्ट राज्य सरकार की उदार नितियों के आधार पर बैक से ऋण लेना चाहती थी इसलिये दिनांक 14.04.2016 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी के सम्बंध में मिली तो पटवारी हल्का नें बताया कि आपका हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से जरिये इन्तकाल दिनांक 05.05.2011 को हो चुका है इसलिये इस पर पटवारी हल्का से इन्तकाल की प्रति देनें हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का नें अपीलकृत इन्तकाल का अपीलान्ट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 14.04.2016 को हुआ इसलिये अपील सर्वप्रथम ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलकृत इन्तकाल बिना क्षैत्राधिकार के है जिसको कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपीलकृत इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा जो दिनांक 05.05.2011 को अपीलान्ट के हिस्से की आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से किया गया है को अपास्त किया जावे और अपील स्वीकार की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोनी में आयोजित राजस्व लोक अदालत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थित आये रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की रिश्तें में बुआ लगती है, अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अपनें हिस्से की भूमि को जरिये दस्तबरदारी के दी गई है, जो उप पंजीयक हिन्दुमलकोट के कार्यालय से पंजीबद्ध है इसी दस्तरदारी के आधार पर रेस्पोस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो सही है दस्तबरदारी की प्रति भी प्रस्तुत की जाकर अपील अपीलान्ट खारिज करनें हेतु निवेदन किया।

–:: आदेश ::–

रेस्पोडेन्ट के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि नामान्तरकरण 383 दिनांक 05.05.2011 पंजीबद्ध दस्तावेज (दस्तबरदारी) के आधार पर दर्ज किये जानें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नही पाये जानें पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जानें से अपील अपीलान्ट वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिंनाक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 कोनी में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशप्रमल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर